# केंद्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,

## बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर रोड़,बीकानेर, राजस्थान –334 006

क्रमांकः 3(45)बीके / 2012 / खण्ड–प्रथम /

दिनांकः10.06.2015

## निविदा प्रपत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | निविदा–प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि | : | दिनांक 25–06–2015 दोपहर 1 बजे |
| 2– | निविदा–प्रपत्र खेलने की तिथि एवं समय | : | दिनांक 25–06–2015 दोपहर बाद 3 बजे |
| 3– | अमानत राशि | : | रूपये 10,000 / – (रूपये दस हजार मात्र) |
| 4– | निविदा–प्रपत्र की मान्य अवधि | : | 120 दिवस |
| 5– | निविदा–प्रपत्र शुल्क | : | रूपये 1000 / – (रूपये एक हजार मात्र) |

इस संस्थान के प्रक्षेत्र परिसर में डिग्गी के आसपास लगभग 15–20 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि में खरीफ फसल असिंचित तथा रबी फसल सिंचित क्षेत्र में वर्षभर चारा प्रदान करने वाली दाने की फसलों की बुवाई हिस्सा पद्वति पर कार्य करने के लिए सम्पूर्ण चारा संस्थान का व दाने की अधिकतम हिस्से हेतु निविदादाताओं से मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है ।

**नियम व शर्तें**

1. निविदा–प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र / संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूची में दर्शाया गया है)। **निविदा संस्थान के प्रभागाध्यक्ष महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 26.06.2015 तक समय 1.00 बजे (दोपहर) तक टेण्डर बॉक्स में डालना होगा।** सशर्त, तथा देरी से प्राप्त निविदा–प्रपत्र स्वीकार नहीं की जाएगी। **ठेकेदार को पहचान के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि की सत्यापित प्रति** प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदा उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

2. निविदादाता को निविदा–प्रपत्र के साथ अमानत राशि रू.10,000 (रूपये दस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में देय जो कि Punjab National Bank, Branch-Beechwal Industrial Area, Bikaner (Rajasthan) में भुगतान योग्य हो संलग्न करना होगा। डाउनलोड किया हुआ निविदा–प्रपत्र निर्धारित शुल्क रू 1000: / – के डी0डी0 के साथ ही मान्य होगा । बिना अमानत राशि के निविदा–प्रपत्र स्वीकार नहीं की जावेगी।

3. सफल निविदादाता को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार धरोहर राशि रू. 20,000 / – जमा करानी होगी। धरोहर राशि अनुबन्ध सन्तोषजनक पूरा होने के बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि को जब्त कर ली जाएगी।

4. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से 31–05–2016 तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो धरोहर राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

5. उगाई गई फसलों से प्राप्त चारा पूरा संस्थान का होगा तथा स्वीकृत निविदा–प्रपत्र के अनुसार दाने में संस्थान की हिस्सेदारी होगी। ठेके में दी गई फसलों के अलावा कोई अन्य फसल की बुवाई करने की अनुमति नहीं होगी।

6. डिग्गी क्षेत्र के आसपास लगभग 15–20 हेक्टेयर भूमि में खरीफ फसल जैसे ग्वार,मोठ,मूँग आदि की बुवाई करनी होगी जो कि वर्षा पर आश्रित होगी (असिंचित)। कृषि में काम आने वाले सभी यन्त्रों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी । संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा ।

7. डिग्गी क्षेत्र के पास रबी फसल जैसे चना, गेहूँ एवं जौ आदि की बुवाई करनी होगी जो सिंचित होगी । जिसमें नहर का पानी के बिल का भुगतान संस्थान द्वारा दिया जावेगा । यदि डिग्गी क्षेत्र में ठेकेदार बिजली उपयोग करता है तो उसका बिल ठेकेदार को भरना होगा ।

8. यदि ठेकेदार फव्वारा पद्वति से रबी फसल की सिंचाई करता है तो उपलब्ध्ता के आधारपर पाईप एवं फव्वारा दिये जा सकते है । लेकिन बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार को करना होगा ।

9. फसल की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

10. ठेकेदार द्वारा बोई गई किसी भी फसल एवं किसी भी क्षेत्र में संस्थान द्वारा फल अथवा चारे वाले पेड़ों की रोपाई कराई जा सकती है जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

11. ठेके के दौरान ठेकेदार अथवा उसके व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार की संस्थान सम्पत्ति की क्षति के लिए उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा।

12. दाने का हिस्सा करने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। सम्पूर्ण चारा व संस्थान के हिस्से के दाने को ठेकेदार को निर्धारित स्थान पर पहूँचाना होगा। इसके लिए ट्रेक्टर एवं ट्रॉली संस्थान से उपलब्ध कराई जाएगी।

13. कार्य ठेका मिलते ही तुरन्त प्रभाव से प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार शुरू करना होगा। पेटी ठेका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

15. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार / उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता / क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। ठेके की अवधि में कार्य के दौरान लगाए जाने वाले श्रमिकों का परिश्रमिक भुगतान श्रमिक नियमों के अनुसार करना होगा।

16. रू. 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध का इकरारनामा पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर स्वयं के खर्चे पर कार्यालय में जमा कराना होगा अन्यथा जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध भी निरस्त कर दिया जाएगा।

17. संस्थान के प्रभागाध्यक्ष को बिना कारण बताए कोई भी ठेका / निविदा स्वीकार करने / रद्ध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10.6.15

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

उपर्युक्त नियम व शर्ते मैने भलीभाँति पूण होश हवास में पढ एवं समझ ली है और दाने में मेरा व संस्थान का हिस्सा इस प्रकार होगा ।

| क्र.सं. | संस्थान के प्रक्षेत्र परिसर में डिग्गी के आसपास के | फसल का नाम | दाने में संस्थान का हिस्सा | दाने में ठेकेदार का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | असिंचित क्षेत्र में खरीफ की फसल | ग्वार, मोठ एवं मूँग आदि | | |
| 2. | सिचिंत क्षेत्र में रबी की फसल | चना, जौ एवं गेहूँ आदि | | |

हस्ताक्षर——————————

ठेकेदार का नाम————————

पूरा पता——————————

मोबाईल नं0——————————